छत्तीसगढ़ किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979**

अत: राज्य सरकार की यह राय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में किरोसिन की पूर्ति को जारी रखने, उसके साम्य वितरण तथा उचित मूल्य की दुकानों पर उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है ;

अतएव भारत सरकार, उद्योग एवं सिविल पूर्ति मंत्रालय (सिविल पूर्ति तथा सहकारिता विभाग) आदेश क्रमांक एस.ओ. 681 (ई), दिनाँक 30 नवम्बर 1974 के साथ पठित अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधि. सं. 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 है।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ पर है।

(3) यह तत्काल प्रवृत्त होगा।

2. परिभाषाएं

इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

★★★ (क) 'व्यापारी' से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति जो किरोसिन के क्रय विक्रय या विक्रय के लिए संग्रहण का कारबार, चाहे थोक व्यवहारी आंशिक थोक व्यवहारी या फुटकर विक्रेता के रूप में और चाहे किसी अन्य कारबार के साथ संयुक्ततः अथवा पृथकतः करता है और उसके अंतर्गत उसका प्रतिनिधि या अभिकर्ता शामिल है किंतु उसके अंतर्गत ऐसी सहकारी कंपनियाँ जो इस आदेश से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं तथा ऐसे संग्रहण डिपो या संस्थापनाएँ जहाँ से साधारण जनता को कोई विक्रय नहीं किया जाता है, शामिल नहीं है ;

(ख) 'संचालक' से छत्तीसगढ़ खाद्य एवं नागरिक पूर्ति, का संचालक अभिप्रेत है ;

(ग) 'प्ररूप' से इस आदेश से संलग्न प्ररूप, अभिप्रेत है ;

(घ) 'किरोसिन' का वही अर्थ होगा जो कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम 1944

★ छ.ग. शासन की अधिसूचना दिनांक 2.2.2002 द्वारा जारी विधियों का अनुकूलन आदेश 2002 के अनुसरण में 'म.प्र.' शब्दों के स्थान पर छ.ग. किया गया है।

★★ क्रमांक 7547-4961-XXX-11-79 भोपाल दिनांक 19.12.79 द्वारा जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 22.2.1980 पृष्ठ 310-15

★★★ म.प्र. राजपत्र। दिनांक 22.2.80 में प्रकाशित, अधिसूचना क्रमांक 4836-2424-29.1.80 दिनांक 11.8.80 द्वारा यथा संशोधित।

ापारी अनुज्ञापन
'9**

ड़ राज्य में किरोसिन की पूर्ति को बनाये
ों पर उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित

मंत्रालय (सिविल पूर्ति तथा सहकारिता
म्बर 1974 के साथ पठित अत्यावश्यक
ा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में
करती है, अर्थात् -

ापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 है।

न न हो -

किरोसिन के क्रय विक्रय या विक्रय के
क थोक व्यवहारी या फुटकर विक्रेता
क्तत: अथवा पृथकत: करता है और
ल है किंतु उसके अंतर्गत ऐसी तेल
र्दिष्ट हैं तथा ऐसे संग्रहण डिपो या
हीं किया जाता है, शामिल नहीं है ;

संचालक अभिप्रेत है ;

शुल्क और नमक अधिनियम 1944

' का अनुकूलन आदेश 2002 के अनुसरण

जो कि म.प्र. राजपत्र दिनांक 22.2.1980

836-2424-29.1.80 दिनांक 11.8.80 द्वारा

(1944 का अधिनियम सं. 1) की प्रथम अनुसूची की मद क्रमांक 7 में उसके लिए दिया गया है और इसके अंतर्गत विमान चलाने वाला ईंधन नहीं आवेगा।

(ङ) **'अनुज्ञप्ति'** से इस आदेश के अधीन जारी की गयी अनुज्ञप्ति आशयित है तथा अभिव्यक्ति अनुज्ञप्तिधारी का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा ;

(च) **'अनुज्ञापन प्राधिकारी'** से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर जो उस क्षेत्र पर जिसमें कि व्यापारी अपना कारबार करता है, अधिकारिता रखता है तथा उसके अंतर्गत ऐसा अधिकारी आता है जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उसमें (अधिसूचना में) विनिर्दिष्ट किए गए किसी क्षेत्र के लिये इस आदेश के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी की समस्त या किसी भी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए इस बारे में नियुक्त करे ;

(छ) **'तेल कंपनी'** से आशय, आदेश से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट तेल का वितरण करने वाली कंपनी से है ;

(ज) **'फुटकर व्यवहारी'** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यवहारी जो थोक व्यवहारी या आंशिक थोक व्यवहारी नहीं है ;

(ज-1) **'आंशिक थोक व्यवहारी'** से कोई ऐसा व्यवहारी जो किरोसिन का क्रय किसी थोक व्यवहारी से करता है और उसका विक्रय अन्य फुटकर व्यवहारी को करता है, आशयित है।

(झ) **'राज्य सरकार'** से मध्य प्रदेश सरकार आशयित है ;

(ञ) **'थोक व्यवहारी'** से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यापारी जो किरोसिन का क्रय किसी तेल कंपनी से करता है और उसका विक्रय आंशिक थोक व्यवहारियों या फुटकर व्यवहारियों को किसी भी परिमाण में अथवा थोक उपभोक्ताओं को संव्यवहार में 18.5 लीटर या उससे अधिक मात्रा में करता है।

(त) **'हाकर्स कार्ड धारक'** से अभिप्रेत है ऐसा व्यापारी जो थोक विक्रेता या आंशिक थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता नहीं है।

3. व्यापारियों का अनुज्ञापन

(1) कोई भी व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में जारी की गयी अनुज्ञप्ति के निर्बंधनों तथा शर्तों के अधीन तथा उनके अनुसार ही किरोसिन व्यापारी के रूप में कारबार करेगा अन्यथा नहीं।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो इस आदेश के आरंभ होने की दिनांक को किरोसिन व्यापारी के रूप में कारबार में लगा हो, ऐसे आदेश के प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लेगा।

4. अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन-पत्र

(1) अनुज्ञप्ति के लिए या उसके नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन पत्र प्रारूप 'क' में अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र इस प्रकार दिया जायेगा कि वह अनुज्ञप्ति

की अवधि समाप्त होने के तीस दिन पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास पहुंच जाय तथा किसी भी दशा में उस दिनांक के 15 दिन के बाद न पहुंचे।

5. अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना

इस आदेश के अधीन जारी, पुनः जारी या नवीनीकृत प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्ररूप 'ख' में होगी।

6. अनुज्ञप्ति की अवधि तथा प्रभार्य फीस

(1) इस आदेश के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्ति, व्यापारी द्वारा आवेदन किए जाने पर तीन वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए जारी, पुनः जारी या नवीनीकृत की जा सकेगी और उसके जारी किए जाने या अंतिम बार नवीनीकृत किए जाने की दिनांक के बाद उस वर्ष की 31 दिसंबर को समाप्त हो जाएगी जिस वर्ष के लिए वह मंजूर या नवीनीकृत की गयी हो, जब तक कि उसे इसके पूर्व ही निलंबित या प्रतिसंहृत न कर दिया गया हो।

★(2) इस आदेश के अधीन किसी अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने, पुनः जारी किए जाने नवीनीकरण के लिए देय फीस निम्नानुसार होगी और ऐसे व्यापारी जिन्हें अधिसूचना जारी होने के पूर्व खण्ड 5 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जा चुकी है अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सूचना जारी होने की तारीख से एक माह की कालावधि भीतर शेष राशि जमा करना होगा।

(क) थोक विक्रेता और आंशिक थोक विक्रेता		(ख) फुटकर विक्रेता	
(1) एक वर्ष के लिए	: पाँच हजार रुपये	(1) एक वर्ष के लिए	: एक सौ रुपये
(2) दो वर्ष के लिए	: दस हजार रुपये	(2) दो वर्ष के लिए	: दो सौ रुपये
(3) तीन वर्ष के लिए	: बारह हजार रुपये	(3) तीन वर्ष के लिए	: दो सौ पचास रुपये

(3) कारबार के प्रत्येक स्थान के लिए एक पृथक अनुज्ञप्ति दी जायेगी।

(4) कोई भी व्यक्ति किसी एक ही स्थान पर कारबार करने के लिए थोक विक्रेता, आंशिक थोक विक्रेता तथा फुटकर विक्रेता की अनुज्ञप्ति एक साथ धारण नहीं करेगा।

7. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति का जारी किया जाना

यदि इस आदेश के अधीन जारी की गयी कोई अनुज्ञप्ति गुम हो जाय या नष्ट हो जाय या विरूपित हो जाये या फट जाये या अपठनीय हो जाय तो अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए तत्काल आवेदन करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात जैसी कि वह आवश्यक समझे, खंड 6 के अधीन विहित फीस का भुगतान किए जाने पर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा। अनुज्ञप्ति की ऐसी प्रत्येक दूसरी प्रति पर 'दूसरी प्रति' की मुहर अंकित की जायेगी।

★ अधिसूचना क्रमांक एफ-13-4/खाद्य/2006/29 दिनांक 27 सितम्बर 2006 द्वारा प्रतिस्थापित। छ.ग. राजपत्र में दिनांक 27.09.2006 को पृष्ठ 470 (5-6) पर प्रकाशित।

8. अनुज्ञप्ति देने से इंकार करने की शक्ति

अनुज्ञापन प्राधिकारी संबंधित व्यापारी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देने के उपरांत और लेखबद्ध किए गए कारणों से अनुज्ञप्ति जारी करने या नवीकृत करने से इंकार कर सकेगा।

9. निर्देशों का पालन

किरोसिन के क्रय, विक्रय, विक्रय के लिए संग्रहण और व्ययन के संबंध में समय समय पर अनुज्ञापन प्राधिकारी या संचालक या राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा दिए किसी निर्देश को अनुज्ञप्तिधारी पूरा करेगा।

10. अनुज्ञप्ति का रद्दकरण अथवा निलंबन

इस आदेश के अधीन जारी अनुज्ञप्ति का धारक या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य कर रहा कोई भी अन्य व्यक्ति अनुज्ञप्ति के किन्हीं भी उपबंधनों या शर्तों या इस आदेश के किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं करेगा और यदि कोई ऐसा अनुज्ञप्तिधारी या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्यरत कोई भी व्यक्ति उक्त निर्बंधनों या शर्तों या उपबंधों में से किसी का भी उल्लंघन करता है, तो उसके विरुद्ध की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसकी अनुज्ञप्ति को अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा रद्द या निलंबित किया जा सकेगा।

परंतु यह कि इस खंड के अधीन तब तक कोई आदेश नहीं दिया जायेगा, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को प्रस्तावित रद्दकरण या निलंबन के विरूद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।

11. अनुज्ञप्तिधारी की दोषसिद्धि पर अनुज्ञप्ति को रद्द किया जा सकेगा

खंड 10 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी यदि अनुज्ञप्तिधारी को अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्या 10) की धारा 3 के अधीन किरोसिन के संबंध में दिए गए किसी भी आदेश का उल्लंघन करने के संबंध में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया हो तो अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति को रद्द कर सकेगा ;

परंतु यह दोषसिद्धि यदि किसी अपील या पुनरीक्षण में स्थिर नहीं रहती है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी, उस व्यक्ति द्वारा, जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द की गयी हो, प्रारूप 'क' में आवेदन किए जाने पर उस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति पुन: जारी कर सकेगा।

12. अन्यथा उपबंधित को छोड़कर जहाँ इस आदेश के अधीन कोई अनुज्ञप्ति रद्द की गयी हो, वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसे अनुज्ञप्तिधारी को मूल अनुज्ञप्ति रद्द की जाने की दिनाँक से तीन वर्ष की कालावधि तक कोई अनुज्ञप्ति जारी नहीं करेगा।

13. प्रतिभूति का जमा किया जाना

★(1) इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यापारी तथा अनुज्ञप्ति जारी किए जाने के पूर्व निम्नानुसार राशि अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास और प्रत्येक व्यापारी जिन्हें यह अधिसूचना जारी होने से पूर्व खण्ड 5 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जा चुकी है उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सूचना जारी होने की तारीख से एक माह की कालावधि के भीतर शेष राशि जमा करना होगा।

प्रतिभूति निक्षेप की रकम

थोक विक्रेता के लिए	:	एक लाख रुपये
आंशिक थोक विक्रेता के लिए	:	दस हजार रुपये
फुटकर विक्रेता के लिए	:	एक हजार रुपये

(2) उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट की गयी प्रतिभूति की रकम संचालक द्वारा यथा विनिर्दिष्ट किए गए स्वरूप में होगी।

14. प्रतिभूति निक्षेप की रकम का समपहरण

(1) खंड 10 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाये कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की किन्हीं भी शर्तों का उल्लंघन किया है और यह कि उसकी प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण आवश्यक हो गया है, तो वह अनुज्ञप्तिधारी को समपहरण के विरूद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर देने के पश्चात् और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गयी संपूर्ण प्रतिभूति या उसके किसी भाग को आदेश द्वारा समपहृत कर सकेगा और उस आदेश की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को भेजेगा।

(2) यदि प्रतिभूति की रकम किसी भी समय खंड 13 में विनिर्दिष्ट रकम से कम हो जाये तो अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाने पर प्रतिभूति की उतनी और रकम तुरंत जमा करेगा, जिससे कि रकम की पूर्ति हो जाये।

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन समस्त दायित्वों का सम्यक रूप से पालन किए जाने पर प्रतिभूति की रकम या उसका ऐसा भाग जो पूर्वोक्तानुसार समपहृत न किया गया हो, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी को लौटा दिया जायेगा।

15. जानकारी मंगाने की शक्ति

प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी, यदि उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तों या अनुज्ञापन प्राधिकारी या संचालक द्वारा किए गए सामान्य या विशेष निर्देशों द्वारा अपेक्षा की जाये, अपने कारबार से संबंधित ऐसे बहीखाते, लेखे तथा अभिलेख रखेगा और उसे या इस संबंध में उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए किसी भी व्यक्ति को अपने कारबार से संबंधित ऐसे विवरण तथा जानकारी,

★ अधिसूचना क्रमांक एफ-13-4/खाद्य/2006/29 दिनांक 27 सितम्बर 2006 द्वारा प्रतिस्थापित। छ.ग. राजपत्र में दिनांक 27.09.2006 को पृष्ठ 470 (5-6) पर प्रकाशित।

जिसमें इस आदेश के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात् किरोसिन से संबंधित विवरण या जानकारी शामिल है, प्रस्तुत करेगा, जो कि अध्यपेक्षा में वर्णित की जावे।

16. अपील

(1) ऐसा कोई भी व्यक्ति, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति प्रदान करने, उसे पुनः जारी करने या अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण से इंकार करने या अनुज्ञप्ति को रद्द करने या उसे निलंबित करने या इस आदेश के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जमा की गयी प्रतिभूति को समपहृत करने संबंधी किसी आदेश से व्यथित हो, ऐसा आदेश उसके द्वारा प्राप्त किए जाने की दिनाँक से 30 दिन के भीतर संभाग के आयुक्त या अपर आयुक्त को अपील कर सकेगा।

(2) इस खंड के अधीन कोई भी आदेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि व्यथित व्यक्ति को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए युक्तियुक्त अवसर न प्रदान किया गया हो।

(3) अपील का निराकरण होने तक संभाग का आयुक्त या अपर आयुक्त यह निर्देश दे सकेगा कि अनुज्ञप्ति को नवीनीकृत करने से इंकार करने संबंधी आदेश या अनुज्ञप्ति को रद्द करने या निलंबित करने संबंधी आदेश या प्रतिभूति को समपहृत करने संबंधी आदेश तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि अपील का निराकरण नहीं हो जाता है।

17. पुनरीक्षण

राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से या किसी भी व्यथित पक्षकार द्वारा आवेदन किए जाने पर संभाग के आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा दिए गए किसी भी आदेश की वैधता या औचित्य के संबंध में अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति संभाग के आयुक्त या अपर आयुक्त द्वारा निपटाए गए किसी भी मामले के अभिलेख मंगा सकेगी और उसकी जांच कर सकेगी तथा उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगी, जैसा कि वह उचित समझे ;

परंतु यह कि वह किसी भी आदेश में तब तक कोई परिवर्तन नहीं करेगी या उसे तब तक नहीं उलटेगी, जब तक प्रस्तावित आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो ;

परंतु यह और भी कि पुनरीक्षण के लिए कोई भी आवेदन पत्र तब तक ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि आवेदक को उस आदेश की, जिसके कि विरूद्ध आवेदन किया गया हो, संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उसे प्रस्तुत न किया गया हो।

18. प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्तियाँ

(1) कोई अधिकारी

(1) राजस्व विभाग का जो नायब तहसीलदार के पद से निम्न पद का न हो ;

(2) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का जो सहायक खाद्य एवं सिविल पूर्ति निरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो ;

(3) पुलिस विभाग का, जो उपनिरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो ;

(4) परिवहन विभाग का जो उपनिरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो इस बाबत राज्य शासन द्वारा अधिकृत हो -

(क) ऐसे किसी भी स्थान या परिसर, वाहन या जलयान में, प्रवेश कर सकेगा, उसका निरीक्षण कर सकेगा या उसे तोड़कर खोल सकेगा तथा उसकी तलाशी ले सकेगा, जिसके कि संबंध में उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश के उपबंधों का या उसके अधीन जारी की गयी किसी भी अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किया गया है, उल्लंघन किया जा रहा है या उल्लंघन किया जाने वाला है ;

(ख) किसी भी ऐसे परिसर, वाहन या जलयान के, जिसके कि संबंध में उसको यह विश्वास करने का कारण हो कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है, उल्लंघन किया जा रहा है या उल्लंघन किया जाने वाला है, स्वामी, अधिभोगी या उसके प्रभारी किसी भी अन्य व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे बही खाते, हिसाब तथा अन्य अभिलेख प्रस्तुत करें जो ऐसे उल्लंघन से, संबंधित संव्यवहार दर्शाते हों,

(ग) ऐसे उल्लंघन संबंधी संव्यवहार दर्शाने वाले किन्हीं दस्तावेजों, जो उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए हों, से उद्धरण या उनकी प्रतिलिपियां लेगा या लिखाएगा,

(घ) इस आदेश के उपबंधों या उसके अधीन जारी की गयी अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन कर संग्रहण किए गए किरोसिन के स्टाक की तथा उक्त किरोसिन को लाने ले जाने के लिए उपयोग में लाए गए पशुओं, गाड़ियों, जलयानों या अन्य वाहनों की तलाशी लेगा, उनका अभिग्रहण करेगा और उन्हें हटायेगा उसके पश्चात् इस प्रकार अभिग्रहण किए गए किरोसिन के स्टाक और पशुओं, गाड़ियों, जलयानों या अन्य वाहनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने और उन्हें प्रस्तुत किए जाने तक उनकी सुरक्षित अभिरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा या उठाने के लिए प्राधिकृत करेगा।

(2) ऐसे वाहन या पशु परिसरों का, जिसकी कि उपखंड (1) के उपबंधों के अधीन तलाशी ली गयी हो या जिसकी तलाशी ली जानी हो, प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति (उसके अभिकर्ता और सेवक सहित), मांग करने वाले प्राधिकारी को ऐसे परिसर, वाहनों, या पशुओं को देखने देगा और उससे पूछे गए सभी प्रश्नों का ईमानदारी और उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार उत्तर देगा।

(3) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 100 के उपबंध जो तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित हैं, यथासंभव इस खंड के अधीन तलाशियों तथा अभिग्रहणों पर लागू होंगे।

19. छूट

राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस आदेश के समस्त या किन्हीं भी उपबंधों के प्रवर्तन से किसी भी व्यक्ति को या व्यक्तियों के किसी भी वर्ग को छूट दे सकेगी और किसी भी समय ऐसी छूट को निलंबित या रद्द कर सकेगी।

★प्रारूप 'क'

(खंड 4 देखिए)

छत्तीसगढ़ किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 के अधीन अनुज्ञप्ति दी जाने या उसके नवीनीकरण के लिए आवेदन का प्रारूप।

प्रति,

कलेक्टर तथा अनुज्ञापन प्राधिकारी

1. नाम जिस पर अनुज्ञप्ति अपेक्षित है .....
2. आवेदक का नाम बड़े अक्षरों में .....
3. पिता का नाम .....
4. आवेदक का पूरा पता .....
5. स्वामी/स्वामियों/भागीदार/भागीदारों का/ के नाम तथा पता/पते .....
6. उस स्थान अर्थात् दुकान का पूरा पता, जहाँ कारबार चलाया जाना है .....
7. किरोसिन का संग्रहण करने के स्थान/स्थानों का पूरा पता .....
8. आवेदित अनुज्ञप्ति का प्रकार, अर्थात् थोक, आंशिक थोक या फुटकर .....
9. आवेदक कितने समय से किरोसिन का व्यापार कर रहा है .....
10. पिछले वर्ष के दौरान क्रय/विक्रय किए गए किरोसिन की मात्राएं .....
11. किरोसिन का व्यापार करने के लिए नगर पालिका से प्राप्त अनुज्ञप्ति, यदि कोई हो, का क्रमांक .....
12. आवेदन करने की तारीख को आवेदक के कब्जे में किरोसिन की मात्रा .....
13. मद 11 में विनिर्दिष्ट की गयी विशिष्टयों को छोड़कर अनुज्ञप्ति की, अन्य कोई विशिष्टियां, यदि कोई हों .....

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि किरोसिन की ऊपर विनिर्दिष्ट मात्रा, आज की तारीख को मेरे कब्जे में है और वह ऊपर उल्लिखित स्थानों में रखी हुई है।

मैंने/हमने छत्तीसगढ़ किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 से संलग्न प्रारूप 'ख' में दी गयी अनुज्ञप्ति की शर्तों को सावधानी से पढ़ा है तथा उसका पालन करने के लिए मैं सहमत हूँ/हम सहमत हैं।

★ अधिसूचना क्रमांक 4836-2424 उन्तीस -एक दिनांक 28 अगस्त 1980 द्वारा यथा संशोधित 1 म.प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 22.8.80 पृष्ठ 2193-94

मैं/हम यह भी घोषित करता हूँ /करते हैं कि उपर्युक्त जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही है।

मैं/हम, मुझे/हमें तारीख ..... को जारी की गयी अनुज्ञप्ति क्रमाँक ..... तारीख ..... के नवीनीकरण के लिए इसकें द्वारा आवेदन करता हूँ / करते हैं।

....

स्थान तथा तारीख आवेदक के हस्ताक्षर

प्रारूप 'ख'

(खंड 5 देखिए)

छत्तीसगढ़ किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 के अधीन किरोसिन का क्रय, विक्रय, विक्रय के लिए संग्रहण के लिए अनुज्ञप्ति।

(थोक/आंशिक थोक/फुटकर कारबार के लिए अनुज्ञप्ति)

अनुज्ञप्ति क्रमांक .....

जारी किए जाने की तारीख .....

अनुज्ञप्ति फीस ..... रूपये का भुगतान किया गया।

1. छत्तीसगढ़ किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 के उपबंधों तथा इस अनुज्ञप्ति के निर्बंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए (थोक/आंशिक थोक/ फुटकर विक्रेता के रूप में किरोसिन का क्रय, विक्रय के लिए संग्रहण करने के लिए (नाम) ..... को एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

2. (ब) अनुज्ञप्तिधारी उपर्युक्त कारबार निम्नलिखित स्थान (स्थानों) पर करेगा - .....

(भ) अनुज्ञप्तिधारी विक्रय के लिए किरोसिन का संग्रहण निम्नलिखित स्थान (स्थानों) पर करेगा -.....

टिप्पणी : यदि अनुज्ञप्तिधारी, ऊपर विनिर्दिष्ट स्थानों से भिन्न किसी भी स्थान पर किरोसिन का संग्रहण करे, तो वह ऐसे संग्रहण की सूचना संग्रहण किए जाने से 48 घंटे के भीतर अनुज्ञापन अधिकारी को देगा और अपनी अनुज्ञप्ति में आवश्यक प्रविष्टियाँ कराने के लिए अपनी अनुज्ञप्ति ऐसी सूचना के साथ प्रस्तुत करेगा।

3. (एक) अनुज्ञप्तिधारी उन स्थिति को छोड़कर जबकि उसे इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से छूट दी गयी हो, निम्नलिखित रजिस्टर रखेगा -

स्टाक रजिस्टर

(अंक लीटरों में)

तारीख एजेंट	प्रारंभिक अतिशेष	(प्राप्ति का स्थान तथा स्रोत दर्शाते हुए) तारीख को प्राप्त किरोसिन की मात्रा	कालम 2 तथा 3 का योग	स्थानीय रूप, से विक्रय की गयी मात्रा	गंतव्य स्थान दर्शाते हुए अन्य स्थानों को भेजी गयी मात्रा	अंतिम अतिशेष	टिप्पणियां यदि कोई हों	व्यापारी/ के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

2. विक्रय रजिस्टर

तारीख	क्रमांक	क्रेता का नाम	विक्रय की गई मात्रा लीटरों में	प्रभारित कीमत	क्रेता के हस्ताक्षर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(दो) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक दिन का अपना लेखा अंततोगत्वा अगले दिन का संव्यवहार शुरू होने के पूर्व पूरा कर लेगा, जब तक कि ऐसा कर पाने से निवारित होने का कोई युक्तियुक्त कारण मौजूद न हो और ऐसा कोई कारण था, यह साबित करने का उत्तरदायित्व उस पर ही होगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी, मध्यप्रदेश किरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी किरोसिन से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी भी कानून के किन्हीं भी उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी - (एक) किरोसिन का क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए संग्रहण संबंधी ऐसा कोई भी संव्यवहार सट्टेबाजी की रीति से नहीं करेगा जिससे बाजार में किरोसिन की सहज उपलब्धता तथा पूर्ति बनाये रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(दो) सामान्यतः विक्रय के लिए रखे गए किरोसिन का विक्रय नहीं रोकेगा।

(तीन) केंद्र सरकार या राज्य सरकार या इस संबंध में सशक्त किए गए किसी भी प्राधिकारी द्वारा किसी भी परिक्षेत्र में किरोसिन का विक्रय ऐसे परिक्षेत्र में बिक्री के लिए निर्धारित कीमत से अधिक कीमत पर किरोसिन का विक्रय नहीं करेगा या विक्रय के लिए पेश नहीं करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी किरोसिन के आरंभिक स्टाक तथा वह कीमत जिस पर किरोसिन का विक्रय किया जाना है अपने कारबार के परिसर के किसी प्रमुख स्थान पर प्रतिदिन देवनागरी में प्रदर्शित करेगा।

8. (एक) अनुज्ञप्तिधारी, उस दशा को छोड़कर जबकि राज्य सरकार या संचालक द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से छूट दी गयी हो, प्रत्येक ग्राहक को यथास्थिति एक सही रसीद या बीजक देगा जिसमें अपना स्वयं का नाम, पता और ग्राहक का नाम, पता और अनुज्ञप्ति क्रमांक (यदि कोई हो), संव्यवहार की तारीख, विक्रय की गई मात्रा, प्रभारित दर और कुल कीमत लिखी रहेगी और उसकी दूसरी प्रति अपने पास रखेगा, जो अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा माँग की जाने पर निरीक्षण के लिए उपलब्ध करायी जायेगी।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी शर्त 8 (एक) में निर्दिष्ट रसीदों या बीजकों के प्रतिपर्ण या प्रतिलिपि पुस्तक के रूप में रखेगा, जो निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।

9. अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक शनिवार को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए निम्नलिखित प्ररूप में सही साप्ताहिक विवरणी अनुज्ञापन प्राधिकारी को इस प्रकार भेजेगा, जिससे कि वह आगामी सोमवार को उसके पास अवश्य पहुंच जाये और अपने कारबार से संबंधित ऐसे अनुदेशों का भी पालन करेगा जो किरोसिन का क्रय, विक्रय, विक्रय के लिए संग्रहण तथा उसके व्ययन के संबंध में अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समय समय पर दिए जाएँ -

(क) सोमवार को किरोसिन का प्रारंभिक अतिशेष।

(ख) सप्ताह के दौरान प्राप्त किरोसिन।

(ग) प्राप्ति का स्थान तथा स्रोत।

(घ) कालम (क) तथा (ख) का योग।

(ङ) सप्ताह के दौरान विक्रय किए गए किरोसिन की कुल मात्रा।

(च) शनिवार को अंतिम अतिशेष।

(छ) टिप्पणियाँ, यदि कोई हो, (इस कालम में विक्रय की गयी किंतु परिदत्त न की गयी मात्रा के ब्यौरे उसके कारणों सहित उपदर्शित किए जाएँ।)

10. अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी को, या राज्य सरकार या संचालक को, अपनी किसी भी दुकान, माल गोदाम या अन्य किसी स्थान पर जिसे किरोसिन के संग्रहण, विक्रय या क्रय के लिए उपयोग में लाया गया हो, अपने स्टाक तथा लेखाओं के निरीक्षण के लिए तथा परीक्षण के लिए किरोसिन के नमूने लेने हेतु सभी उचित समयों पर समस्त सुविधाएं देगा।

11. नवीनीकरण के आवेदन-पत्र के साथ यह अनुज्ञप्ति संलग्न की जावेगी।

12. यह अनुज्ञप्ति .... तारीख तक विधिमान्य होगी।

स्थान ..... (अनुज्ञापन प्राधिकारी)

तारीख ..... अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

नवीनीकरण का पृष्ठांकन

1. ..... तारीख तक के लिए नवीनीकृत की गई।अनुज्ञापन प्राधिकारी
2. ..... तारीख तक के लिए नवीनीकृत की गई। अनुज्ञापन प्राधिकारी
3. ..... तारीख तक के लिए नवीनीकृत की गई।अनुज्ञापन प्राधिकारी
4. ..... तारीख तक के लिए नवीनीकृत की गई।अनुज्ञापन प्राधिकारी
5. ..... तारीख तक के लिए नवीनीकृत की गई।अनुज्ञापन प्राधिकारी

अनुसूची
(खंड 2 का उपखंड (छ)देखिए)

तेल कंपनियाँ

1. इंडियन आइल कारपोरेशन लिमिटेड।
2. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड।
3. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (विभाग मार्केट यूनिट)।
4. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड।
5. इंडो-वर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड।
6. असम आइल कंपनी लिमिटेड।

प्रवेश तलाशी एवं जब्ती हेतु अधिकारियों की नियुक्ति – म.प्र. केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 का खंड 18 प्रवेश, तलाशी अधिग्रहण आदि के संबंध में है। म.प्र. शासन के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अधिसूचना क्रमांक 7549-4961-29-11-79 दिनांक 12.12.1979 के द्वारा (जिसका कि प्रकाशन म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 22.2.1980 को हुआ) इस आदेश के खंड 18 के उपखंड (एक) की शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार ने नीचे दी गई सारिणी के कॉलम 2 में वर्णित अधिकारियों को इस खंड की शक्तियों को प्रयोग करने हेतु कॉलम (3) की समवर्ती इंद्राज में विनिर्दिष्ट अधिकारिताओं की सीमाओं में, अधिकृत किया।

सारणी

क्र.	अधिकारी	अधिकारिता
1.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संचालक, छ.ग.	- संपूर्ण राज्य
2.	उप संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, छ.ग.	- संपूर्ण राज्य
3.	सहायक संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, छ.ग.	- संपूर्ण राज्य
4.	संभागों के आयुक्त	- उनके संबंधित संभागों की सीमाओं के भीतर
5.	कलेक्टरगण	- उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
6.	अतिरिक्त कलेक्टरगण	- उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
7.	सहायक कलेक्टरगण	- उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
8.	डिप्टी कलेक्टरगण	- उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
9.	अनुविभागीय अधिकारीगण	- उनके संबंधित उप संभागों की सीमाओं के भीतर
10.	खाद्य अधिकारी/ खाद्य नियंत्रक	- उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
11.	तहसीलदारगण	- उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
12.	नायब तहसीलदारगण	- उनके संबंधित अधिकारिता की सीमाओं के भीतर
13.	सहायक खाद्य अधिकारीगण/ सहायक खाद्य नियंत्रकगण	- उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
14.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षकगण	- उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
15.	सहायक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निरीक्षकगण	- उनके संबंधित जिलों की सीमाओं के भीतर
16.	सभी पुलिस अधिकारीगण, उपनिरीक्षकगण की श्रेणी से ऊपर वाले	- उनकी संबंधित अधिकारिता की सीमाओं के भीतर
17.	क्षेत्रीय परिवहन निरीक्षकगण (उपनिरीक्षक पुलिस की श्रेणी के)	- उनकी संबंधित अधिकारिता की सीमाओं के भीतर
18.	क्षेत्रीय परिवहन उपनिरीक्षक (उपनिरीक्षक पुलिस की श्रेणी के)	- उनकी संबंधित अधिकारिता की सीमाओं के भीतर
19.	संभागों के अतिरिक्त आयुक्तगण	- उनकी संबंधित अधिकारिता की सीमाओं के भीतर

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर, 1979

क्र. 7551-4961-उनतीस-दो-79 - छत्तीसगढ़ केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 के खण्ड 19 के अनुसरण में, राज्य सरकार, एतद्द्वारा राज्य की समस्त सहकारी समस्याओं की उक्त आदेश के खण्ड 13 के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.पी. वर्मा, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 1979

क्र. 7553-4961-उनतीस-दो-79 - छत्तीसगढ़ केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 के खण्ड 2 के उपखण्ड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इसके द्वारा समस्त खाद्य अधिकारियों तथा खाद्य नियंत्रकों को अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो अपने-अपने जिलों की सीमाओं के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीकरण की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.पी. वर्मा, उपसचिव

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 1979

क्र. 7555-4961-उनतीस-दो-79. - छत्तीसगढ़ केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 के खण्ड 19 के अनुसरण, में राज्य सरकार, एतद्द्वारा, शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में केरोसिन के विक्रय या विक्रय के लिए संग्रहण के कारबार में लगे ऐसे समस्त व्यक्तियों को, जिन्हें सरकार द्वारा या उसकी ओर से किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, खण्ड 3, 5, 6 तथा 13 के उपबन्धों के प्रवर्तन से छूट देती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.पी. वर्मा, उपसचिव

अधिसूचना
म.प्र. राजपत्र-31.10.1980 पृष्ठ 2471

6474-3898 उन्नीस-1-80 छत्तीसगढ़ केरोसिन व्यापारी अनुज्ञापन आदेश, 1979 के खंड 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथ्य इस विभाग के आदेश क्रमांक 1424-4-9-61-उन्नीस-2-79 दिनांक 15 मार्च 1980 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट ऐस फुटकर विक्रेताओं को, जो विक्रय के लिए केरोसिन का किसी एक समय में उस मात्रा से जो उक्त अनुसूची के कालम (3) में विनिर्दिष्ट है, अधिक मात्रा में संग्रहण करते हैं उक्त आदेश के समस्त उपबन्धों के प्रवर्तन से एतद्द्वारा छूट देती है।

अनुसूची

अनुक्रमांक	व्यापारी	मात्रा
1.	नगर पालिक, नगर पालिकाओं तथा अधिसूचित क्षेत्रों की सीमाओं के भीतर स्थित क्षेत्रों में के फुटकर विक्रेता	200
2.	ऊपर (1) के अन्तर्गत न आने वाले क्षेत्रों में के व्यापारी	400

●●●

अधिकारिता

पूर्ण राज्य
पूर्ण राज्य
पूर्ण राज्य
नके संबंधित संभागों की
ोमाओं के भीतर
नके संबंधित जिलों की
ोमाओं के भीतर
नके संबंधित जिलों की
ोमाओं के भीतर
नके संबंधित जिलों की
माओं के भीतर
नके संबंधित जिलों की
माओं के भीतर
नके संबंधित उप संभागों की
माओं के भीतर
नके संबंधित जिलों की
माओं के भीतर
नके संबंधित जिलों की
माओं के भीतर
के संबंधित अधिकारिता की
माओं के भीतर
के संबंधित जिलों की
माओं के भीतर
के संबंधित जिलों की
माओं के भीतर
के संबंधित जिलों की
माओं के भीतर
की संबंधित अधिकारिता की
माओं के भीतर
की संबंधित अधिकारिता की
माओं के भीतर
की संबंधित अधिकारिता की
माओं के भीतर
की संबंधित अधिकारिता की
माओं के भीतर

*छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980**

क्रमांक 2069-1016-उन्तीस-80- चूँकि राज्य सरकार की यह राय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में मोटर स्पिरिट और हाईस्पीड डीजल आयल की आपूर्ति बनाए रखने तथा उचित कीमतों पर उनकी उपलभ्यता सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक तथा समीचीन है ;

अतएव, भारत सरकार के उद्योग एवं नागरिक सम्भरण मंत्रालय (नागरिक संभरण तथा सहकारिता विभाग) के आदेश क्र.एस.ओ. 681 (ई) तारीख 30 नवंबर 1974 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (क्रमांक 10 सन् 1955) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात :

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारंभ

(1) यह आदेश छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 कहलाएगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा।

(3) यह तत्काल प्रभावी होगा।

2. परिभाषाएँ

इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) **'प्राधिकृत अधिकारी'** से अभिप्रेत है सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य तथा सिविल आपूर्ति विभाग और उसके अंतर्गत ऐसा अन्य अधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी आते हैं जो कि उसके द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आदेश के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने तथा उसके कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत किए जाए।

***(ख) ''व्यापारी'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो किसी तेल कंपनी द्वारा मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल या दोनों के क्रय, ग्रहण, भण्डार और विक्रय करने के लिये नियुक्त किया गया हो और इसमें ऐसी तेल कंपनी भी सम्मिलित है जो सीधे ही

★ विधियों का अनुकूलन आदेश 2002 द्वारा इस आदेश में जहाँ कहीं भी आये म.प्र. शब्द के स्थान पर छत्तीसगढ़ शब्द रखा गया। अनुकूलन आदेश छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र में दिनांक 2.2.2002 को पृष्ठ 57-58 पर प्रकाशित हुआ।

★★ म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 11.4.80 को पृष्ठ 579 में प्रकाशित (अधिसूचना क्रमांक 2069-1018 -29 भोपाल दिनांक 10.4.1980)

★★★ अधिसूचना दिनांक 20 फरवरी 2006 द्वारा प्रतिस्थापित तथा छ.ग. राजपत्र में दिनांक 20.2.2006 को पृष्ठ 135-136 पर प्रकाशित।

उपभोक्ताओं को मोटर स्पिरिट या हाई स्पीड डीजल आयल या दोनों का विक्रय करने में लगी हो और उसमें उसके कर्मचारी भी सम्मिलित होंगे।

*(ख-1) **'छुट्टी के दिन'** से ऐसा दिन, जिस दिन व्यापारिक परिसर, तेल की बिक्री के लिए बंद रहेगा, अभिप्रेत है ;

(ग) **'आयल' से अभिप्रेत है नीचे विनिर्दिष्ट किया गया कोई भी आयल

(एक) किसी हाइड्रोकार्बन आयल से मिलकर बनने वाली मोटर स्पिरिट चाहे वे एथनोल में मिश्रित हो अथवा नहीं हो (जिसमें कच्चा खनिज तेल सम्मिलित नहीं है) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश क्रमांक आई.एस. - 2796 की अपेक्षाओं को पूरा करता है और जो स्पार्क इगनिशन इंजनों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है, और

**(दो) किसी हाइड्रोकार्बन आयल से मिलकर बनने वाला हाईस्पीड डीजल आयल (जिसमें खनिज कोल्जा आयल तथा तारपीन का अनुकल्प सम्मिलित नहीं है) जो भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देश क्रमांक आई.एस. - 1460 की अपेक्षाओं को पूरा करता है और काम्प्रेशन इगनिशन इंजनों में ईंधन के रूप में उपयोग के लिए उपयुक्त है।

(घ) **'तेल कंपनी' से अभिप्रेत है इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, इंडो बर्मा पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड या भारत सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म या कंपनी, जो भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित अनुबंधों के अनुसार सीधे ही उपभोक्ताओं या व्यापारियों को मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल का विपणन और विक्रय करने में लगी हो।

(ङ) **'राज्य सरकार'** से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की सरकार।

(च) **'संचालक'** से अभिप्रेत है संचालक खाद्य तथा सिविल आपूर्ति, छ.ग.।

(छ) **'अनुज्ञप्ति'** से अभिप्रेत है इस आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति और अभिव्यक्त अनुज्ञप्ताधारी का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(ज) **'अनुज्ञापन प्राधिकारी'** से अभिप्रेत है जिले का कलेक्टर जिसकी उस क्षेत्र पर अधिकारिता हो जिसमें कि कोई व्यापारी अपना कारोबार करता हो, और उसमें ऐसा कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है जिसे राज्य सरकार इस संबंध में अधिसूचना द्वारा उससे विनिर्दिष्ट किसी भी क्षेत्र के हेतु अनुज्ञापन अधिकारी को इस आदेश के अधीन समस्त या किन्हीं भी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करें।

(झ) **'उपभोक्ता' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सीधे व्यापारी से मोटर स्पिरिट एवं/या हाई स्पीड डीजल क्रय करता है और उनका उपयोग अपने स्वयं के उपभोग के लिये करता है।

★ अधिसूचना क्र. 2782-6830-उन्तीस दिनांक 15.4.82 द्वारा बढ़ाया गया।

★★ अधिसूचना क्र. ए-4-40/खाद्य 2003/29 दिनांक 20 फरवरी 2006 द्वारा प्रतिस्थापित तथा छ.ग. राजपत्र में दिनांक 20.02.2006 को पृष्ठ 135-136 पर प्रकाशित।

3. मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल के विक्रय तथा प्रदाय का विनियमन

(1) प्रत्येक व्यापारी अपने कारोबार के परिसरों के किसी प्रमुख स्थान पर, स्टाक तथा मूल्य का एक पटल प्रदर्शित करेगा जिसमें उस दिन के आयल का प्रारंभिक अतिशेष तथा प्रति लीटर विक्रय मूल्य दर्शाया जाएगा।

(2) उपखंड (5) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, कोई भी व्यापारी अपने कारोबार के परिसरों में आयल का स्टाक होने पर, किसी भी दिन कार्य के घंटों के दौरान किसी भी ग्राहक को आयल बेचने से बिना पर्याप्त कारण के इंकार नहीं करेगा या किसी ग्राहक को आयल बेचने की शर्त के रूप में कोई अन्य वस्तु क्रय करने के लिए विवश नहीं करेगा।

स्पष्टीकरण

(एक) बाद की किसी तारीख को उच्चतर कीमत अभिप्राप्त करने की संभावना इस उपखंड के प्रयोजन के लिए पर्याप्त कारण नहीं समझी जाएगी।

(दो) इस उपखंड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति 'काम के घंटे' से अभिप्रेत है इस आदेश के प्रारंभ होने के अव्यवहित पूर्ण व्यापारी द्वारा अनुपालन किए जाने वाले काम के घंटे हैं।

(3) प्रत्येक व्यापारी यह सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त उपाय करेगा कि उसके पास उसके कारोबार के परिसरों में से सभी समयों पर आयल का पर्याप्त स्टाक रहे।

★(4) प्रत्येक व्यापारी अपने कारोबार के परिसरों में आयल के क्रय, विक्रय तथा संग्रहण के सही और ठीक लेखे बनाये रखेगा जो कि संव्यवहार के दिनांक से दो दिनों (छुट्टी के दिन को छोड़कर) लिखा जायेगा जिसमें निम्नलिखित दर्शाया जाएगा

(क) दिन का आरंभिक स्टाक ;

(ख) दिन के दौरान प्राप्त की गई मात्रा ;

(ग) दिन के दौरान बेची गई, परिदत्त की गई या अन्यथा व्ययनित की गई मात्रा ;

(घ) दिन का बंद स्टाक, और

(ङ) ऐसी अन्य विशिष्टियों जैसा कि कोई प्राधिकृत अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(5) प्रत्येक व्यापारी तथा प्रत्येक आयल कंपनी तेल के क्रय, विक्रय के लिए संग्रहण के विषय में और उस भाषा तथा उस रीति के विषय में जिसमें कि उसके लेखे बनाए रखे जाएँगे तथा स्टाक विवरणों की प्रस्तुति के विषय में भी ऐसे निदेशों का पालन करेगा/करेगी जो कि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिखित में उसे दिए जाए।

★ अधिसूचना क्र. 2783-6830-उन्तीस -2-82 दिनांक 15.4.82 द्वारा संशोधित म.प्र. राजपत्र भाग 1 दिनांक 27.3.82 में प्रकाशित।

(6) कोई भी व्यापारी छत्तीसगढ़ में आयल की पूर्ति बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति में कोई कार्य नहीं करेगा।

(7) किसी व्यापारी या किसी आयल कंपनी से भिन्न कोई भी व्यक्ति किसी उपभोक्ता को आयल का विक्रय नहीं करेगा और कोई उपभोक्ता किसी व्यापारी या आयल कंपनी के सिवाय किसी अन्य से तेल की अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करेगा।

4. व्यापारियों का अनुज्ञापन

(1) कोई भी व्यक्ति, प्राधिकारी द्वारा उस निमित्त जारी की गई अनुज्ञप्ति के निर्बन्धनों तथा शर्तों के अधीन तथा अनुसार के सिवाय आयल के व्यापारी के रूप में कारोबार नहीं करेगा।

(2) प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जो इस आदेश के प्रारंभ के समय, आयल के व्यापारी के रूप में कारोबार में लगा हुआ हो, ऐसे आदेश के प्रारंभ होने से तीस दिन की कालावधि के भीतर अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करेगा।

5. अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

(1) अनुज्ञप्ति या उसके नवीनीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, अनुज्ञापन प्राधिकारी को प्ररूप 'क' में किया जाएगा।

(2) अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवेदन इस प्रकार किया जाएगा कि वह अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास, उस तारीख से, जिसको कि अनुज्ञप्ति समाप्त होने वाली हो, कम से कम 30 दिन पूर्व पहुँच जाए और किसी भी दशा में उससे 15 दिन के पश्चात नहीं।

6. अनुज्ञप्ति का जारी किया जाना

इस आदेश के अधीन जारी की गई, पुन: जारी की गई या नवीनीकृत की गयी प्रत्येक अनुज्ञप्ति प्ररूप 'ख' में होगी।

7. अनुज्ञप्ति की कालावधि तथा प्रभार फीस

(1) इस आदेश के अधीन प्रत्येक अनुज्ञप्ति व्यापारी के अनुरोध पर अधिकतम तीन वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए जारी की जा सकेगी, पुन: जारी की जा सकेगी, या नवीनीकृत की जा सकेगी और जब तक कि पूर्व में ही निलंबित या प्रतिसंहृत न की जाए उसके जारी किए जाने या अंतिम नवीनीकरण की तारीख से उस वर्ष के आगामी 31 दिसम्बर को, जब तक कि लिए वह जारी की गई है या नवीनीकृत की गई है, समाप्त हो जाएगी।

★(2) इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति के जारी किए जाने, पुन: जारी किए जाने या नवीनीकरण के लिए देय फीस निम्नानुसार होगी

★ अधिसूचना क्र. ए-4-40/खाद्य 2003/29 दिनांक 20 फरवरी 2006 द्वारा प्रतिस्थापित तथा छ.ग. राजपत्र में दिनांक 20.02.2006 को पृष्ठ 135-136 पर प्रकाशित।

(क) एक वर्ष के लिए रु. 1,200/-★

(ख) दो वर्ष के लिए रु. 2,400/-★

(ग) तीन वर्ष के लिए रु. 3,600/-★

(3) कारोबार के प्रत्येक स्थान के लिए पृथक अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त की जाएगी।

8. अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करना

यदि इस आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति खो जाए, नष्ट हो जाए, निरुपित हो जाए, फट जाए या अस्पष्ट हो जाए, तो अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी करने के लिए तुरंत आवेदन करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी जाँच करने के पश्चात जैसा कि वह आवश्यक समझे ★रुपए पाँच सौ की फीस का भुगतान किए जाने पर अनुज्ञप्ति की दूसरी प्रति जारी कर सकेगा। अनुज्ञप्ति की ऐसी प्रत्येक 'दूसरी प्रति' पर दूसरी प्रति मुद्रांकित किया जाएगा।

9. अनुज्ञप्ति देने से इंकार करने की शक्ति

अनुज्ञापन प्राधिकारी, संबंधित व्यापारी को अपना पक्ष रखने का अवसर देने के पश्चात तथा अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्ति जारी करने से या अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण से इंकार कर सकेगा।

10. निर्देशों का अनुपालन

अनुज्ञप्तिधारी ऐसे किसी निदेशों का अनुपालन करेगा जो कि यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी या संचालक द्वारा आयल के क्रय, विक्रय तथा विक्रय के लिए संग्रहण तथा व्ययन के संबंध में लिखित में सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय-समय पर दिए जाएँ।

11. अनुज्ञप्ति का रद्दकरण या निलंबन

इस आदेश के अधीन जारी की गई अनुज्ञप्ति का धारक या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति अनुज्ञप्ति के निर्बन्धनों या शर्तों से किसी भी निर्बन्धन या शर्त का या इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन नहीं करेगा और यदि ऐसा धारक या उसका अभिकर्ता या सेवक या उसकी ओर से कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उक्त निर्बन्धनों या शर्तों या उपबंधों में से किसी भी निर्बन्धन या शर्त या उपबंध का उल्लंघन करता है ऐसी किसी अन्य कार्यवाही पर जो कि उसके विरुद्ध की जा सकेगी प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसकी अनुज्ञप्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी के लिखित आदेश द्वारा रद्द किया, निलंबित भी की जा सकेगी :

★ अधिसूचना क्र. ए-4-40/खाद्य 2003/29 दिनांक 27 मई 2011 द्वारा प्रतिस्थापित तथा छ.ग. राजपत्र में दिनांक 27.05.2011 को पृष्ठ 782 पर प्रकाशित। जिसके माध्यम से फीस में पुनः संशोधन किया गया।

★परंतु शर्त यह है कि इस खंड के अंतर्गत कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक कि अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा उस आयल कंपनी से, जिससे कि अनुज्ञप्तिधारी ने संविदा किया हो, विकल्प न प्राप्त कर लिया गया हो और प्रस्तावित रद्दकरण या निलंबन के विरुद्ध अनुज्ञप्तिधारी को अपना पक्ष पेश करने के लिए समुचित अवसर प्रदान न कर दिया गया हो :

परंतु आगे और यह शर्त है कि, पूर्वगामी परंतुक के अंतर्गत इस संबंध में कंपनी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर या समकक्ष स्तर के अधिकारी से पत्र की प्राप्ति के तीस दिनों के अंदर कंपनी की राय को समावेश करते हुए, कोई पत्राचार प्राप्त नहीं होता है, तब यह माना जाएगा कि आयल कंपनी प्रस्तावित कार्यवाही के लिए सहमत है और अनुज्ञापन प्राधिकारी जैसा वह उचित समझे वैसा आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र होगा।

12. अनुज्ञप्तिधारी को दोषसिद्ध ठहराए जाने पर अनुज्ञप्ति रद्द हो जाएगी

खंड 11 में अंतर्विष्ट बात के होते हुए भी जहाँ कोई अनुज्ञप्तिधारी आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (क्र. 10 सन् 1955) की धारा 3 के अधीन दिए गए आयल से संबंधित किसी आदेश के उल्लंघन के संबंध में विधि न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो, वहां अनुज्ञापन प्राधिकारी लिखित आदेश द्वारा उसकी अनुज्ञप्ति रद्द कर सकेगा :

परंतु जहाँ किसी अपील या पुनरीक्षण में ऐसी दोषसिद्धि का समर्थन न किया जाए, वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी उस व्यक्ति द्वारा जिसकी अनुज्ञप्ति रद्द की गई है, प्ररूप 'क' में आवेदन करने पर उस व्यक्ति को अनुज्ञप्ति पुनः जारी कर सकेगा।

13. नई अनुज्ञप्ति जारी करना

अन्यथा उपबंधित के सिवाय जहाँ इस आदेश के अधीन कोई अनुज्ञप्ति रद्द की जाय, वहाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी ऐसी अनुज्ञप्ति के धारक को मूल अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए अनुज्ञप्ति जारी नहीं करेगा।

14. प्रतिभूति का निक्षेप

★★इस आदेश के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक व्यापारी उसे अनुज्ञप्ति जारी किये जाने के पूर्व अनुज्ञापन प्राधिकारी के पास रुपए बारह हजार★★★ की रकम जमा करेगा और तत्पश्चात उसे खंड 6 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी और ऐसे व्यापारी जिसे अधिसूचना जारी होने से पूर्व खण्ड 6 के अधीन अनुज्ञप्ति जारी की जा चुकी है उसे अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा सूचना जारी होने की तारीख से एक माह के अंदर शेष राशि जमा करना होगी।

(2) उपखंड (1) में निर्दिष्ट की गई प्रतिभूति की रकम ऐसे रूप में होगी जैसा कि संचालक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

★ अधिसूचना क्र. 2782-6830-उन्तीस दिनांक 15.4.82 द्वारा बढ़ाया गया।

★★ अधिसूचना क्र. ए-4-40/खाद्य 2003/29 दिनांक 20 फरवरी 2006 द्वारा प्रतिस्थापित तथा छ.ग. राजपत्र में दिनांक 20.02.2006 को पृष्ठ 135-136 पर प्रकाशित।

★★★ अधिसूचना क्र. ए-4-40/खाद्य 2003/29 दिनांक 27 मई 2011 द्वारा प्रतिस्थापित तथा छ.ग. राजपत्र में दिनांक 27.05.2011 को पृष्ठ 782 पर प्रकाशित।

15. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण

(1) खंड 11 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि अनुज्ञापन प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि अनुज्ञप्तिधारी ने अनुज्ञप्ति की शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन किया है और यह कि उसकी प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण मांगा गया है तो वह अनुज्ञप्तिधारी को समपहरण के विरुद्ध अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निक्षिप्त की गई प्रतिभूति या उसके किसी भाग को आदेश द्वारा समपहृत कर सकेगा और उस आदेश की एक प्रति अनुज्ञप्तिधारी को संसूचित करेगा

(2) यदि प्रतिभूति की रकम खंड 14 के उपखंड (1) में विनिर्दिष्ट रकम से किसी भी समय कम हो जाए तो अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अपेक्षा की जाने पर प्रतिभूति की उतनी रकम तत्काल निक्षेप करेगा जिससे कि वह रकम पूरी हो जाए।

(3) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन समस्त बाध्यताओं का सम्यक पालन किए जाने पर प्रतिभूति की रकम या उसका ऐसा भाग जो पूर्वोक्तानुसार समपहृत न किया गया हो, अनुज्ञप्ति की समाप्ति के पश्चात अनुज्ञप्तिधारी को लौटा दिया जाएगा।

16. अपील

अनुज्ञापन प्राधिकारी के अनुज्ञप्ति मंजूर करने, पुनः जारी करने या नवीनीकरण से इंकार करने या अनुज्ञप्ति को रद्द करने या उसे निलंबित करने या इस आदेश के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निक्षेप की गई प्रतिभूति को समपहृत करने के किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति अनुज्ञापन प्राधिकारी का आदेश उसे प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकेगा।★

17. ★★

18. जानकारी मांगने की शक्ति

प्रत्येक व्यापारी, यदि उसकी अनुज्ञप्ति की शर्तों या प्राधिकृत अधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी या संचालक द्वारा लिखित में जारी किए गए सामान्य या विशेष निदेशों द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए, तो अपने कारोबार से संबंधित वैसी बहियाँ, लेखे तथा अभिलेख, रखेगा और उस या इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए किसी व्यक्ति को अपने कारोबार से संबंधित ऐसी विवरणी तथा जानकारी, जिसमें इस आदेश के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात जैसा कि निर्देश में उल्लिखित किया जाएं, आयल से संबंधित विवरणी तथा जानकारी सम्मिलित है, प्रस्तुत करेगा।

★ अधिसूचना क्र. 1-67/खाद्य/2003/29 - 08. मई 2003 द्वारा प्रतिस्थापित। छ.ग. राजपत्र में दिनांक 22.08.2003 को प्रकाशित।

★★ अधिसूचना क्र. 1-67/खाद्य/2003/29 - 08. मई 2003 द्वारा विलोपित। छ.ग. राजपत्र में दिनांक 22.08.2003 को प्रकाशित।

अनुज्ञापन प्राधिकारी का इस बात
ो शर्तों में से किसी भी शर्त का
ा समपहरण मांगा गया है तो वह
ुत करने का युक्तियुक्त अवसर
अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निक्षिप्त की
हृत कर सकेगा और उस आदेश

ष्ट रकम से किसी भी समय कम
पेक्षा की जाने पर प्रतिभूति की
ी हो जाए।

यताओं का सम्यक पालन किए
न्तानुसार समपहृत न किया गया
ोटा दिया जाएगा।

करने या नवीनीकरण से इंकार
ा आदेश के उपबंधों के अधीन
ं किसी आदेश से व्यथित कोई
तारीख से तीस दिन के भीतर

धिकृत अधिकारी या अनुज्ञापन
विशेष निदेशों द्वारा ऐसी अपेक्षा
भिलेख, रखेगा और उस या इस
रोबार से संबंधित ऐसी विवरणी
जैसा कि निर्देश में उल्लिखित
है, प्रस्तुत करेगा।

थापित। छ.ग. राजपत्र में दिनांक

ोपित। छ.ग. राजपत्र में दिनांक

19. प्रवेश, तलाशी, अभिग्रहण आदि की शक्ति

★(1) प्राधिकृत अधिकारी या छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य तथा सिविल आपूर्ति का कोई अधिकारी जो ★★(सहायक खाद्य निरीक्षक के पद से निम्न पद का न हो या राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जो नायब तहसीलदार के पद से निम्न पद का न हो, या कोई पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक के पद से निम्न पद का ना हो) इस आदेश के उपबंधों के अनुपालन को सुनिश्चित करने की दृष्टि से

(क) किसी व्यक्ति की या उसके नियंत्रण के अधीन की किन्हीं बहियों या दस्तावेज़ों या के लेखाओं तथा साथ ही आयल के किसी स्टाक का निरीक्षण कर सकेगा या निरीक्षण करवा सकेगा ;

(ख) किसी व्यक्ति से आयल के क्रय, विक्रय या संग्रहण के लिए किसी कारोबार या उपक्रम के संबंध में जानकारी, जो उसके पास है देने की अपेक्षा कर सकेगा ;

(ग) किसी व्यक्ति को या ऐसे किसी यान या जलयान को जिसका गोदाम से या ऐसे किन्हीं परिसरों या स्थानों से, जहाँ उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि आयल संग्रहित किया गया है, आयल के परिदान के लिए उपयोग किया गया हो या किया जाने का संदेह है, रोक सकेगा तथा ऐसे मददगारों तथा सलाहकारों के साथ, जो कि आवश्यक हो, तत्काल तलाशी ले सकेगा ;

(घ) ऐसे किसी गोदाम या परिसरों या स्थानों में ऐसे मददगारों या सहायकों के साथ जो कि आवश्यक हो, प्रवेश कर सकेगा तथा तलाशी ले सकेगा ; और

(ङ) आयल के किसी भी स्थान को संपूर्ण मात्रा को ऐसे अंतर्विष्ट का या पात्रों सहित जिनमें कि ऐसा स्टाक पाया गया हो, तथा ऐसे यानों, ऐसे जलयानों या ऐसे अन्य वाहनों को, जो कि स्टाक को ले जाने के लिए उपयोग में लाए गए हों, ऐसे मददगारों या सहायकों के साथ, जोकि आवश्यक हो अभिग्रहण कर सकेगा तथा हटा सकेगा यदि उसे वह संदेह करने का कारण हो कि ऐसे स्टाक या उसके किसी भाग के संबंध में या आयल के किसी अन्य स्टाक के संबंध में जो उल्लंघन के अन्य वहित पूर्व ऐसे स्टाक के साथ संग्रहीत किया गया हो या कब्जे में रखा गया था इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है, या किया जाने वाला है, और तत्पश्चात इस प्रकार अभिग्रहण किए गए आयल के स्टाक, अंतर्विष्टकों, पात्रों, यानो, जलयानों या अन्य वाहनों को जिले के कलेक्टर के जिसका कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (क्रमांक 10 सन् 1955) को धारा 6-क से 6-घ तक के उपबंधों के अधीन अधिकारिता हो, समक्ष पेश किया जाना सुनिश्चित करने के लिए तथा पेश किए जाने तक उनके सुरक्षित अभिरक्षा के लिए समस्त आवश्यक उपाय कर सकेगा

★ अधिसूचना क्र. एफ-18.5.84 उन्तीस-2 दिनांक 26.5.88 द्वारा यथा संशोधित।
★★ अधिसूचना क्र. 2783-6830-उन्तीस -2-82 दिनांक 15.4.82 द्वारा यथा संशोधित।

या उपाय करने के लिए किसी को प्राधिकृत कर सकेगा :

परंतु इस खंड के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने के लिए परिसरों या स्थानों के निवासियों या अधिवासियों की सामाजिक तथा धार्मिक रुढ़ियों का सम्यक् ध्यान रखा जाएगा।

20. छूट

राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश से समस्त या किन्हीं उपबंधों के प्रवर्तन से किसी व्यक्ति को या व्यक्तियों को किसी वर्ग को छूट दे सकेगी और किसी भी समय ऐसी छूट को निलंबित या रद्द कर सकेगी।

प्ररूप 'क'
(खंड 5 देखिए)

छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के अधीन अनुज्ञप्ति की मंजूरी/नवीनीकरण के लिए आवेदन

1. जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है उसका नाम .....
2. आवेदक का नाम बड़े अक्षरों में .....
3. पिता /पति का नाम .....
4. आवेदक के निवास स्थान का पूर्ण पता.....
5. क्या फर्म एकमात्र स्वत्वधारी संस्थान है या भागीदारी फर्म है या निगमित कंपनी है कृपया यह भी बताईए कि क्या वह रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत नहीं है .....
6. स्वत्वधारी का नाम तथा पता / भागीदारी के नाम तथा पते .....
7. उस स्थान या परिसर का पूरा पता जहाँ कारोबार संपादित किया जाना है .....
8. आयल के संग्रहण के स्थान का पूरा पता/स्थानों के पूरे पते.....
9. आयल का नाम जिसके लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित है- जैसे मोटर स्पिरिट या हाई स्पीड या हाई डीजल या दोनों .....
10. आवेदक कितने समय से आयल का व्यापार कर रहा है .....
11. आयल की मात्रा जिसका गत वर्ष के दौरान व्यापार किया गया .....
12. आयल की कारोबार करने के लिए नगरपालिका की अनुज्ञप्ति का क्र. यदि कोई हो .....
13. आवेदन करने की तारीख को आवेदक के कब्जे में आयल की मात्रा.....
14. मद 12 में निर्दिष्ट अनुज्ञप्ति को छोड़कर फर्म द्वारा पेट्रोलियम नियमों के अधीन धारित अनुज्ञप्ति की, यदि कोई हों विशिष्टियाँ।

15. फुटकर निकासी के मामले में कृपया उस आयल कंपनी का नाम बताइये, जिसका कि फर्म एक अनुमोदित व्यापारी है और नियुक्ति -पत्र की एक अभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न कीजिए।

16. क्या आवेदक या फर्म का कोई भागीदार या निदेशक या पदाधिकारी या फर्म आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 या पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन किसी अपराध के लिए पूर्व में सिद्धदोष ठहराया गयी है यदि हां तो कृपया संक्षेप में उसकी विशिष्टियां तथा उसको अधिनिर्णीत किए गए दंडादेश का वर्णन कीजिए।

17. क्या फर्म के विरुद्ध उत्पादों से संबंधित किसी अपराध के लिए कोई मामला लंबित है यदि हां तो संक्षेप में उसकी विशिष्टियां तथा वर्तमान स्थिति बताइए।

18. क्या आवेदक या फर्म का कोई अन्य भागीदार/पदाधिकारी किसी अन्य स्थान पर पेट्रोलियम उत्पादकों/पेट्रोल या डीजल पंप का कारोबार चला रहा है या क्या वह किसी फर्म का स्वत्वधारी भागीदारी पदाधिकारी है यदि हां तो कृपया पूर्ण विवरण दीजिए।

19. विक्रय कर रजिस्ट्रीकरण .....

केन्द्रीय विक्रय कर.....

स्थानीय विक्रय कर.....

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि ऊपर विनिर्दिष्ट की गई आयल की मात्रा आज मेरे कब्जे में है और ऊपर अंकित स्थानों पर रखी है।

मैने/हमने छत्तीसगढ़ मोटरस्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 से संलग्न प्ररूप ख में अनुज्ञप्ति की शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ा है और मैं / हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

मैं / हम यह भी घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही है और कोई भी बात छिपाई नहीं गई है।

मैं/हम अनुज्ञप्ति क्रमांक ..... तारीख ..... के जो कि मुझे / हमें तारीख ..... को जारी की गई है नवीनीकरण के लिए, एतद्द्वारा आवेदन करता हूँ/करते हैं।

स्थान .....

आवेदक के हस्ताक्षर

तारीख .....

प्रारूप 'ख'
(खंड 6 देखिए)

छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापालन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के अधीन आयल के क्रय, विक्रय तथा विक्रय के लिए संग्रहण हेतु अनुज्ञप्ति -

अनुज्ञप्ति क्रमांक .....

जारी करने की तारीख.....

अनुज्ञप्ति फीस .....रुपए चुकाई गई।

1. छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के उपबंधों तथा इस अनुज्ञप्ति के निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए श्री ..... (अनुज्ञप्तिधारी का नाम) व्यापारी के रूप में आयल का क्रय करने, विक्रय करने या विक्रय के लिए संग्रहण करने हेतु एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है/किए जाते हैं।

2.(क) अनुज्ञप्तिधारी पूर्वोक्त कारोबार निम्नलिखित स्थान/स्थानों पर करेगा ; .....

(ख) अनुज्ञप्तिधारी विक्रय के लिए आयल का संग्रह निम्नलिखित स्थानों पर करेगा .....

टिप्पणी - यदि अनुज्ञप्तिधारी ऊपर, विनिर्दिष्ट किए गए स्थानों को छोड़कर अन्य स्थान में आयल का संग्रह करता है तो वह ऐसे संग्रहण के 48 घंटे के भीतर अनुज्ञापन प्राधिकारी को उसकी जानकारी देगा और ऐसी जानकारी के साथ अनुज्ञप्ति को भी उसमें आवश्यक प्रविष्टियां करने के लिए पेश करेगा।

★3. (एक) अनुज्ञप्तिधारी उस दशा में ; के सिवाय जब कि उसे राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विनिर्दिष्टतः छूट दे दी गई हो, निम्नलिखित प्रारुप मे स्टाक तथा विक्रय रजिस्टर रखेगा -

स्टाक तथा विक्रय रजिस्टर

तारीख	आरंभिक स्टाक	प्राप्ति	योग	विक्रय	अतिशेष बुक स्टॉक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अंतिम मीटर वाचन (7)	अंतिम तेल वाचन (डिपरीडिंग) (सेंटीमीटर/लीटर) (8)	कालम (7) तथा (8) के बीच का अंतर (9)	टिप्पणियाँ (10)

★ अधिसूचना क्र. एफ. 18-5/29/दो/84 दिनांक 13.5.86 द्वारा समाविष्ट। म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 15:5.86 पृष्ठ 389 में प्रकाशित।

(दो) अनुज्ञप्तिधारी प्रत्येक दिन के लिए अपने लेखे संव्यवहार को तारीख से दो दिन (अवकाश दिन छोड़कर) के भीतर पूर्ण करेगा जब तक कि यह युक्तियुक्त कारण से निवारित न किया गया हो, जिसे साबित करने का भार उस पर होगा।

4. अनुज्ञप्तिधारी मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश, 1980 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा।

5. अनुज्ञप्तिधारी पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के उपबंधों में से किसी भी उपबंध का उल्लंघन नहीं करेगा।

6. अनुज्ञप्तिधारी

(एक) आयल के क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए संग्रहण को अंतर्वलित करने वाले किसी भी संव्यवहारों में परिकल्पित रीति में शामिल नहीं होगा जिससे कि बाजार में आयल के प्रदाय की सहज उपलब्धता को बनाए रखने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

(दो) विक्रय के लिए साधारणतः रखे गए आयल को बेचने से रोक नहीं रखेगा।

(तीन) किसी भी प्रकार का आयल किसी भी स्थान में उस कीमत से, जो कि ऐसे स्थान में आयल के विक्रय के लिए विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा या उसके उत्पादक द्वारा किसी बस्ती में आयल के विक्रय के लिए निर्यात की गई कीमत से उच्चतर कीमत पर ऐसी बस्ती में आयल नहीं देगा या बेचने के लिए प्रस्ताव नहीं करेगा।

7. अनुज्ञप्तिधारी अपने कारोबार के परिसरों के किसी प्रमुख स्थान पर अपने काम के घंटे तथा साथ ही दैनिक प्रारंभिक स्टाक और वह कीमत जिसमें आयल बेचा जाएगा सुस्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में प्रदर्शित करेगा।

★8. अनुज्ञप्तिधारी, उस दशा में के सिवाय जबकि उस राज्य सरकार द्वारा इस संबंध मे विशिष्टतः छूट दे दी गई हो, प्रत्येक ग्राहक को यथास्थिति एक सही रसीद या बीजक (इन व्हायस) यदि उसके द्वारा ऐसी मांग की जाए, जारी करेगा जिसमें अपने स्वयं का नाम और पता तथा ग्राहक का नाम और पता, संव्यवहार की तारीख, बेचे गए तेल की मात्रा तथा दर और प्रभारित की गई पूरी कीमत दर्शाई जाएगी और वह प्रतिपर्ण या उसकी दूसरी प्रति को पुस्तक के रूप में रख लेगा जो कि अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए सुगमता से उपलब्ध रहेगी।)

★9. अनुज्ञप्तिधारी, निम्नलिखित प्ररूपों में सही मासिक विवरण एवं उसके व्यापार के संबंध में ऐसी जानकारियां जैसी कि उससे मांगी जाए, अनुज्ञापन प्राधिकारी को इस प्रकार भेजेगा जिससे कि आगामी माह की सातवीं तारीख उसे प्राप्त हो जाए और तेल की खरीदी, बिक्री भंडारण, बिक्री के लिए और तेल के व्ययन के संबंध में संचालक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मध्यप्रदेश के प्राधिकृत पदाधिकारी या अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वार समय-समय पर दिए जाने वाले अनुदेशों का पालन करेगा /यथा

★ अधिसूचना क्र. एफ. 18-5/29/दो/84 दिनांक 13.5.86 द्वारा समाविष्ट। म.प्र. राजपत्र असाधारण दिनांक 15.5.86 पृष्ठ 389 में प्रकाशित।

(क) माह के प्रथम दिन तेल का प्रारंभिक अतिशेष
(ख) माह के दौरान तेल की प्राप्ति
(ग) प्राप्ति का स्थान एवं स्त्रोत
(घ) स्तंभ (क) एवं (ख) का योग
(ड.) माह के दौरान तेल की कुल बिक्री/प्रदाय
(च) माह के प्रथम दिन बंद अतिशेष
(छ) टिप्पणी यदि कोई हो (इस स्तंभ में बिक्री हुई परंतु प्रदाय नहीं की गई किसी मात्रा का पूर्ण विवरण उसके कारणों सहित प्रदर्शित किया जा सकता है।

10. अनुज्ञप्तिधारी, ऐसे मोटर आयल के विक्रय का प्रस्ताव या विक्रय का प्रयत्न नहीं करेगा जो विहित मानकों के अनुरूप न हो या आयल के विक्रय के लिए त्रुटिपूर्ण मापों या पैमानों का उपयोग नहीं करेगा।

11. अनुज्ञप्तिधारी, आयल के क्रय, विक्रय या संग्रहण के लिए उसके द्वारा उपोग में लाए गए किसी दुकान, गोदामों या अन्य स्थान पर अपने स्टाकों तथा लेखाओं के निरीक्षण के लिए तथा परीक्षण के लिए आयल के नमूने लेने हेतु अनुज्ञापन प्राधिकारी या उसके द्वारा या राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी या संचालक द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी अधिकारी को समस्त युक्तियुक्त समयों पर समस्त सुविधाएं देगा।

12. यह अनुज्ञप्ति नवीनीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी।

13. यह अनुज्ञप्ति तारीख ..... तक विधिमान्य रहेगी।

स्थान .....

.....

तारीख .....

(अनुज्ञापन प्राधिकारी)

.....

(अनुज्ञापन प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

अधिसूचना

क्र. 2072-1018-XXIX - II - 80

भोपाल दिनांक 10 अप्रेल 1980

छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट एण्ड हाई स्पीड डीजल आइल (अनुज्ञापन एवं नियंत्रण) आदेश 1980 के खण्ड 2 के उपखण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद द्वारा समस्त खाद्य अधिकारियों और खाद्य नियंत्रकों को अनुज्ञापन प्राधिकारी के रूप में नियुक्त करती है, जो अपने-अपने जिले की सीमाओं के भीतर अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण की शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

(म.प्र. राजपत्र असाधारण में पृष्ठ 594 पर दिनांक 11.4.80 को प्रकाशित)

●●●